तार शुगरफेड
पीबीएक्स नं0– 2612849 / 2615722 / 2201856
E-mail: upsugarfed@ahoo.co.in

फैक्स 91–522–2627994
दूरभाष– 2628310 / 2263121
Websit:www upsugarfed.org

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड

9–ए, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ–226001

पत्र संख्या–547 यू0पी0एफ/ E410/275/24 दिनांक 23/7/19

महत्वपूर्ण / तत्काल

प्रधान प्रबन्धक,
समस्त सहकारी चीनी मिलें / आसवनियॉ
उत्तर प्रदेश।

विषयः–गन्ना विभाग के समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम–27 एवं नियम –27– ए के प्राविधानो का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करायें जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या– 1411 /46– 3– 19– 104 / 2017 दिनाक 18. जुलाई 2019 (छाया प्रति संलग्न) का अवलोकन करें।

इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश में उल्लिखित बिन्दुओ का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। यदि किसी चीनी मिल द्वारा शासनादेश में उल्लिखित निर्देशो का उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। कृपया शासनादेश की प्रति अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्षो / अनुभागाध्यक्षो को उपलब्ध करायें जिससे शासनादेश समस्त कर्मचारियों के संज्ञान में आ सके साथ ही चीनी मिल के वेवसाइट पर अपलोड कराते हुए नोटिस बोर्ड पर चस्पा करायें।

भवदीय,

(बिमल कुमार दुबे)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः–

1– समस्त विभागाध्यक्ष संघ।
2– निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, संघ।
3– सिस्टम एनालिस्ट संघ, को इस आशय से प्रेषित कि वह संघ की वेब साइट / पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4– नोटिस बोर्ड, संघ कार्यालय।

(बिमल कुमार दुबे) 23/7/19
प्रबन्ध निदेशक

महत्वपूर्ण निर्देश/तत्काल
संख्या–1411/46–3–19–104/2017

प्रेषक,

राकेश कुमार मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त (नाम से),
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 18 जुलाई, 2019

विषयः– गन्ना विभाग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम–27 एवं नियम–27–ए के प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–1469सी.डी./46–3–17–104/2017, दिनांक 04 जुलाई, 2017 का कृपया संदर्भ लेने का कष्ट करें।

2. उक्त शासनादेश में इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राजकीय कर्मचारियों के कार्य एवं आचरण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के प्राविधान/दिशा–निर्देश अनुपालनीय होते हैं, का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के दृष्टिगत यह निर्देश प्रसारित किये गये हैं कि सेवा/ स्थानान्तरण आदि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम–27 एवं नियम–27–ए के प्राविधानों का विभाग के समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं उक्त निर्देशों को अपने स्तर से समस्त विभागीय/अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुपालन हेतु परिचालित कराते हुए, इस निर्देश को विभागीय वेबसाइट/पोर्टल पर अपलोड भी किया जाना सुनिश्चित किया जाय। उक्त निर्देशों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए, निलम्बन के सम्बन्ध में भी विचार किया जायेगा।

3. इस संबंध में शासन स्तर पर यह अनुभव किया जा रहा है कि उपरोक्त निर्देशों के बावजूद भी, कतिपय सरकारी सेवकों के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम–27 एवं नियम–27–ए के प्राविधानों के विपरीत स्थानान्तरण/तैनाती कराने हेतु विभिन्न माध्यमों से सिफारशी पत्र/सिफारशें कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है तथा इस प्रकार अनुचित लाभ प्राप्त किये जाने के प्रयास हो रहे हैं। यह स्थिति उपर्युक्त नियमों एवं सरकारी सेवक हेतु निर्धारित कार्य एवं आचरण के सर्वथा विपरीत है।

4. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश में दी गई व्यवस्था/निर्देश तथा उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम–27 एवं नियम–27–ए के प्राविधानों का उल्लंघन किये जाने अथवा सिफारिश कराकर अनुचित लाभ प्राप्त करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की व्यक्तिगत चरित्र पंजिका में इस

प्रतिकूल तथ्य का अनिवार्य रुप से अंकन किया जाय तथा भविष्य में जब कभी भी विभागीय प्रोन्नति समिति के समक्ष, ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नति का प्रकरण विचारार्थ आये, तो विभागीय प्रोन्नति समिति के संज्ञान में, कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम–27 एवं 27 ए के प्राविधानों के उल्लंघन व नियमविरुद्ध आचरण व कार्य करने संबंधी प्रतिकूल तथ्य को, संज्ञान में अवश्य लाया जाय।

कृपया उक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने तथा उक्त निर्देशों को अपने स्तर से समस्त विभागीय/अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुपालन हेतु परिचालित कराते हुए, इस निर्देश को विभागीय वेबसाइट/पोर्टल पर अपलोड भी कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

16/7/18

(राकेश कुमार मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या–1411 (1)/46–3–19–104/2017 तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश सहित प्रेषित :–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., लखनऊ।
3. निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उ.प्र., लखनऊ।
4. निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर।
5. चीनी उद्योग अनुभाग–1/2, उ.प्र. शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कमल किशोर गुप्त)
संयुक्त सचिव।